[SHRI S. M. BANERJEE]

will not cover those cases who are on the verge of retirement or who have retired in the years 1972 or 1971. Even after three instalments of relief, the minimum wage of a Central Government employee is only Rs. 170 whereas in the public undertaking it is Rs. 205 to Rs. 240. Both the employees serve the same Government, and I am surprised how this disparity exists. I hope, the Pay Commission will rectify it.

My another request is that the Pay Commission should be asked to recommend that their recommendations should be applied retrospectively. Otherwise, they will not cover the cases of 43,000 or 44,000 employees who have already retired in the year 1971 and who are retiring by the end of this year also, i.e., 1972. So with these words, I request that because the Central Government employees are already very much agitated on this issue and I do not want to have an all-India agitation on this, the Pay Commission should be asked to submit its report latest by the end of this month and it should be implemented in the month of December 1972 in consultation with the Employees' organisations. I request that the hon. Minister of Finance should reply to my point.

श्री हुकमचन्द कछवाय (मुरेना) अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अनेक बार इस बारे में कहा गया है। जान बूझ कर इस मसले को टाला जा रहा है। श्रम मंत्री ने बार बार आश्वासन दिया है कि दिसम्बर तक रिपोर्ट आ जायेगी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): Let me assure the hon. Member that no extension of time has been requested for by the Pay Commission so far. According to the indications available to us, we hope that the Pay Commission is likely to submit its final report by the end of the year.

As regards the effective date from which this will be applicable, I am sure that the Commission in its report itself will indicate the date from what its recommendations will become effective, and the views and the wishes of the employees are known to the Commission.

12.52 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1972-73

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI): I present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1972-73.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1972-73

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI): I present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 1970-71.

12.53 hrs.

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

MR. SPEAKER: Now, we take up further consideration of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill.

Mr. Bhogendra Jha to continue his speech.

We have already taken 40 minutes. The balance time available is 50 minutes. We have to finish it. There are not many speakers.

Mr. Bhogendra Jha.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I had asked for a reference to an issue, Sir.

MR. SPEAKER: I did not allow it.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में जो मैंने कहना शुरू किया था वह यह था कि इस को लागू करने में इन दि विसिनिट ऐंड प्रेमिजेज आफ दि माइन्स जो है इस के बदले में अगर यह नहीं रखा जाता है कि उस माइन का या उस के ओनर का या अंडरटेकिंग का जो भी प्वाइंट अनलोडिंग और लोडिंग का हो या जो भी रिपेयर का हो, वह प्रेमिजेज के बाहर भी हो तो उस पर भी यह लागू हो, यह अगर आप नहीं करते हैं तो जिस इलाके में दस मील बारह मील पर यह काम होता होगा वह इलाका छूट जायगा और मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपना जवाब देने से पहले इस का समावेश इस में करने का प्रयास करेंगे।

एक बात और जो मैं खास तौर से कहना चाहता हूं वह यह कि उद्देश्य में कहा गया है कि जो भी कार्य खानों के मालिक या राज्य सरकार श्रम कल्याण के लिए करती है उस के स्थानपर यह विधेयक नहीं है बल्कि उस की पूर्ति के लिए है, उस के अलावा है, उस के पूरक के रूप में है। मगर जो कुछ इस विधेयक की धाराओं में हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिस से न सिर्फ उस का स्थान ये लें लेती हैं बल्कि यह रुपया जो आप वसूल करेंगे एक रुपया टन के हिसाब से वह रुपया फिर मालिकों के हाथ में चला जायगा। इसीलिए मेरा यह आग्रह है कि जैसे पृष्ठ 3 पर यह दिया गया है।

"(b) to grant loan or subsidy to a State Government, a local authority or the owner of a limestone or dolomite mine, in aid of any scheme approved by the Central Government for any purpose connected with the welfare of persons employed in limestone or dolomite mines;

(c) to pay annually grant-in-aid to such of the owners of limestone or dolomite mines who provide to the satisfaction of the Central Government welfare facilities of the prescribed standard for the benefit of persons . . .".

मालिक लोगों को यह रुपया आप दे देंगे सहायता के रूप में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे कि श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने खास किस्म के काम किए हैं और वह संतुष्टि आप को कैसे होगी ? अधिकारियों के प्रतिवेदन से कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, इसलिए जो रुपया आप श्रमिक कल्याण के लिए ले रहे हैं वह रुपया फिर उन्हीं मालिकों की जेब में दे देंगे उस काम के लिए। मैं समझता हूं कि यह जो सप्लांट करने के खिलाफ आप के उद्देश्य में दिया है, यह सीधा सीधा सप्लांट करता है। दरअसल वह सलशट भी नहीं होगा, मालिक बिना काम किए हुए पैसा खा जाएंगे। इसीलिए . मैं यह आग्रह करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। मालिक अपनी समझ के मुताबिक श्रमिक कल्याण के लिए कुछ करते हैं और अधिकारी प्रतिवेदन दे देते हैं तो यह रुपया सहायता के रुप में उन्हीं का दे दिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह वही बड़ी खतरनाक बात है और इस का स्थान इस विधेयक में रहना बहुत ही गैरमुनासिब होगा। यह श्रमिकों के कल्याण के लिए नहीं होगा। यह खान मालिकों के कल्याण के लिए होगा और खास तौर से तब जब धारा 5 की उपधारा (2) (सी) के मुताबिक राज्य सरकार को यह सहायता नहीं दी जायगी। यह सिर्फ खान मालिकों को दी जायेगी। तो मैं समझता हूं कि यह रुपया जो लिया जायगा श्रमिक कल्याण के नाम पर वह मालिकों की जेब में चला जायेगा और इसको हटाए बगैर इस को श्रमिकों के कल्याण के लिए कहना भी उचित नहीं होगा।

इसी संबंध में मेरा आग्रह है कि इसमें जो सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है उसमें एक तिहाई मालिकों के प्रतिनिधि, एक तिहाई श्रमिकों के प्रतिनिधि और एक तिहाई सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। तो जिस पृष्ठ भूमि में मालिकों को यह रुपया सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई है उस पृष्ठभूमि में मैं नहीं समझ रहा हूं कि

[श्री भोगेन्द्र झा]

इस तरह की सलाहकार समिति में खान मालिकों के प्रतिनिधियों की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि खान मालिकों के कल्याण के लिए यह विधेयक नहीं ला रहे हैं , यह पैसा खान मालिकों के कल्याण के लिए नहीं वसूल रहे हैं, यह श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूल रहे हैं और जो अधिकांश जगहों में श्रमिकों के संगठनों में, ट्रेड यूनियनों में फूट है, बहुत जगह श्रमिक असंगठित हैं, खास कर छोटी छोटी जगहों में वह बिल्कुल असंगठित हैं, तो वैसी हालत में मालिकों के आदमी उन के अंदर अधिकांश में आ ही जाएंगे और फिर एक तिहाई मालिकों की तरफ से आएंगे, इस तरह से व्यवहारतः वह मालिक सलाहकार समिति हो जायगी । तो मेरा आग्रह है कि इस में से कम से कम मालिकों के एक तिहाई प्रतिनिधि का भाग हटा दिया जाय और दो तिहाई श्रमिकों के प्रतिनिधि इस में आएं । यह नहीं होगा तो किस उद्देश्य के लिए यह रखा गया है उस उद्देश्य का हनन इससे होता है । इन धाराओं के चलते उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है ।

तो इसी पृष्ठभूमि में यद्यपि इसका दायरा सीमित है, मेरा आग्रह है कि पहले के कुछ कानूनों में यह बातें थीं इसी लिए इस में भी इस को रख दिया गया है, तो पहले जिन हालतों में यह बातें थीं, वह हालत आज बदली हुई है और श्रम मंत्री भी चाह रहे हैं कि श्रम का स्थान ऊंचा हो यद्यपि बहुत ज्यादा ऊंचा इस पूंजीवादी व्यवस्था में न वह कर सकते हैं और न आज की जो हमारी गठित पार्लियामेंट है वह कर सकती है, मगर कुछ एकाध कदम भी आगे बढ़ाया जाय तो उसके लिए आवश्यक है कि इस विधेयक में परिवर्तन किया जाय जिस से इस को कम से कम श्रमिक कल्याण का विधेयक हम कह सकें । इतना ही कह कर मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके अपना जवाब देने के पहले इस में परिवर्तन लाने की कृपा करेंगे ।

*SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris): Hon. Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to say a few words on The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill, 1972. Sir, I am happy that at least after twenty-five years of Independence when we are celebrating the Silver Jublee of our Independence this Bill providing for the levy and collection of a cess on limestone and dolomite for the financing activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines has been introduced in this House. I would like to pay my compliments to Shri Khadilkar as he has been bringing before this House progressive labour welfare meausres. Recently, the workers in our country have been 8.33 per cent bonus and that has been given statutory backing only because of the sustained efforts of the Labour Minitser. Shri Khadilkar. On behalf of the workers from Tamil Nadu, I would congratulate him for getting this done. I am sure that he will continue to bestow his personal attention on the problems of labour in our country.

While welcoming this legislative measure, I would like to seek certain clarifications from the Labour Minister on some provisions of the Bill.

It is stated in the Statement of Objects and Reasons that the rate of cess will be such rate not exceeding one rupee per metric tonne of limestone or dolomite as the Government may, from time to time, fix. The actual levy for the present is envisaged at 20 paise per metric tonne of the limestone and dolomite consumed by the

*The original speech was delivered in Tamil.

cement, iron and steel industry. I also find that the consumption of limestone and dolomite is estimated to be about 220 lakh tonnes per annum.

For the first time, after 25 years of our Independence, the workers in the limestone and dolomite mines are being thought of. It has been accepted by the Government that the living conditions of the labour employed in the limestone and dolomite mining industry are not generally satisfactory. That being so, I am unable to understand why it should be stated in the Bill that the rate of cess will not exceed one rupee per metric tonne. Having said this, the actual rate of cess has been fixed at 20 paise per metric tonne. Is it necessary to make a mention of the future intentions of the Government in this Bill itself?

MR. SPEAKER: Will you continue after lunch or can you finish in one or two minutes?

SHRI J. METHA GOWDER: I will continue after lunch.

MR. SPEAKER: All right: You may continue after lunch. The House stands adjourned for lunch to meet at 2 P.M.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL—*Contd.*

*SHRI MATHA GOWDER: Mr. Deputy Speaker, Sir, I was pointing out that it had been expressly mentioned in the Bill that the rate of cess would not exceed one rupee per metric tonne and the actual rate of cess had been fixed at 20 paise per metric tonne. I would like to know from the hon. Minister of Labour whether it is necessary to incorporate in the Bill the future intentions of the Government also. I am tempted to feel that the Government is thus giving protection to the industrialists and the mine-owners. You know, Sir, that these industrialists and the mine-owners do not spontaneously care for the welfare of labour. It is common knowledge that the workers resort to strike even to get their basic minimum demands met by these industrialists and the mine-owners. The principal consumers of limestone and dolomite are the cement, iron and steel industries. Should they be given this kind of protection that the cess would not be more than a rupee per metric tonne? Clause 3 reads as follows:

"With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be levied and collected as a cess for the purpose of this Act on so much of limestone and dolomite produced in any mine—

(i) as is sold or otherwise disposed of to the occupier of any factory; or

(ii) as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with the manufacture of cement, iron or steel,

a duty of excise, at such rate not exceeding one rupee per metric tonne of limestone or dolomite, as the case may be, as the Central Government may, from time to time, fix by notification in the official Gazette.

---

*The original Speech was delivered in Tamil.

[SHRI J. MATHA GOWDER]

I urge upon the Labour Minister to delete this provision "rate not exceeding one rupee per metric tonne" and instead state "rate as the Government may from time to time fix". I am suggesting this because the labour in our country needs all the protection of the Government and not the industrialists and the mine-owners.

Sir, I am also surprised that under Clause 5 the Cement Factories and Steel Plants, which are the biggest consumers of limestone and dolomite will act as the 'collecting agents' for the purpose of collecting the cess. You know that recently the Cement Workers had gone on strike because the cement industry failed to meet their genuine and long-standing demands. I wonder whether the Cement factories should be made the collecting agents. I am afraid that the Cement factories and the limestone and dolomite mine-owners will collude to undermine the benefits likely to accrue to the labour employed in limestone and dolomite mines. The very purpose of the Bill may get defeated in this process. I would like the hon. Labour Minister to clarify as to whether this cess cannot be directly collected like any other duty. Why should there be an intermediary and that too the very industrialists and the mine-owners who do not on their own formulate labour welfare measures?

The Collecting Agents are also going to get collection charges running to thousands of rupees.

Before I conclude, I would request the hon. Minister of Labour to delete the provision stating that the rate of cess will not exceed one rupee a metric tonne. Secondly, I would like to know whether it is advisable to have the cement factories and the steel plants as the collecting agents for the purpose of collecting this cess. I am sure he will reply to these points in his reply to the debate.

With these observations, I extend my whole-hearted support to this Bill.

डा० लक्ष्मीनारायणपांडेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत विधेयक चूना-पत्थर तथा डेलोमाइट खानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया गया है जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है तथा इस की भावना का सम्बन्ध है, उससे कोई असहमति नहीं हो सकती, लेकिन जैसा कि विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में बताया गया है, इससे प्राप्त होने वाली आय लगभग 44 लाख रुपये होगी और खर्चा जो कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर होगा, वह लगभग 3 लाख रुपये होगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 60 हजारों से ऊपर है, अब यदि हम प्रतिव्यक्ति श्रम कल्याण के लिए रुपयों का आंकलन करें तो कठिनाई से 6 रुपये या कुछ अधिक प्रति व्यक्ति पड़ता है, जिस से आप उन का कल्याण करना चाहते हैं या सारी सुविधायें उन को देना चाहते हैं।

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, उनके लिए चिकित्सा सुविधा हो, आवास सुविधा हो, सांस्कृतिक सुविधा हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे—इस आधार पर सेस लगाकर के यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं इस विधेयक के अन्तर्गत लाये गए श्रमिकों के साथ साथ कुछ ऐसे उद्योगों की तरफ भी मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनमें कि हजारों श्रमिक काम करते हैं जैसे कि सोप स्टोन है, साफ्ट स्टोन है और स्लेट पेंसिल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत पैमाने पर ऐसे काफी उद्योग हैं जहां पर हजारों श्रमिक काम करते हैं। उनपर किसी प्रकार का कोई भी श्रमिक कानून लागू नहीं है। स्लेट पेंसिल आदि उद्योगों में काम करने वाले लगभग 6-7 हजार मजदूर केवल मध्य प्रदेश में ही हैं। मैं नहीं समझता जब पूरे देश में चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले श्रमिकों के वेलफयर के लिए यहां पर यह विधेयक लाया गया है तो फिर इस प्रकार के दूसरे श्रमिकों को क्यों छोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सभी श्रमिकों को, वे चाहे किसी क्षेत्र में

काम करते हों, चाहे सोप स्टोन में, साफ्ट स्टोन में, स्लेट पेंसिल में, मेगनीज में या फिर दूसरे उद्योगों में उन सभी को इसके क्षेत्र में लाना चाहिए और उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मालिक लोग जो वहां पर रायल्टी लेते हैं वे मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं क्यों कि वहां कानूनी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जहां पर 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहां पर भी फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं है। आपके जो श्रम अधिकारी हैं वे उनकी तरफ को ध्यान ही नहीं देते हैं। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी की जाये तो मैं समझता हूं इस विधेयक की मनशा भी पूरी होगी और उनको भी लाभ पहुंच सकेगा।

यहां पर सरकार ने सलाहकार समितियों की बात की है सरकार ने राज्य सलाहकार समिति की बात की है और केन्द्र सलाहकार समिति की बात की है। राज्य सरकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया जायेगा वह केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि जब राज्य को किसी प्रकार का अधिकार देते हैं तो फिर राज्य की समिति जो आपके निर्देशानुसार काम करेगी फिर केन्द्र के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की क्या आवश्यकता है। इस व्यवस्था को कौन सी मंशा हो सकती है या किस आधार पर यह व्यवस्था की गई है मन्त्री महोदय इस बारे में बताने की कृपा करेंगे :

आगे चलकर मंत्री जी ने बताया कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो नियम उप-नियम होंगे वह बाद में आगे चल कर तय किये जायेंगे। मुझे स्मरण है कि बहुत से कानून बनाए जाते हैं, यहां से पास करवाने जाते हैं लेकिन उसके बाद में उनको प्रभाव में लाने का काम देरी से होता है। फिर यहां तो नियम बनाने की बात भी नहीं है, केवल यही है कि नियम बनाये जायेंगे और नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी जा रही है। कब तक नियम बनेंगे यह नहीं मालूम। चाहे केन्द्र की समिति हो या राज्य की समिति हो उसमें सरकार कितने व्यक्तियों को नियुक्त करेगी इन बातों का कोई संकेत नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा मंत्री जी इस बारे में स्पष्ट करें। मैं चाहूंगा कि नियम कितने दिनों में बन सकेंगे इसकी अवधि मंत्री जी बतावें और जल्दी से जल्दी नियम बना कर के संसद् के समक्ष रखें तभी इसका कोई लाभ हो सकेगा।

अन्त में मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों का शोषण हो रहा है, जहां विभिन्न श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाये और वहां पर भी श्रम कानूनों को लागू किया जाये तथा वहां पर उनका ठीक से पालन कराया जाये। केवल कानून बना देने से ही उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। इन शब्दों के साथ इन बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के श्रम कानूनों को श्रमिकों के हित में प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस लाइम स्टोन डोलोमाइट माइन्स वेलफेयर फंड बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके साथ साथ इतनी जल्दबाजी में इसको पास किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई हैं। जब माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो फिर संशोधन कर लेंगे। लेकिन हम लोगों का अनुभव यह बतलाता है कि पिछले एक तो संशोधन के लिए बिल एजेण्डे पर आना

[श्री राम नारायण शर्मा]

इतना कठिन हो जाता है और फिर उसके बाद संशोधन करने का समय ही नहीं आता। उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं प्रोविडेण्ट फंड की पेनालटी को स्ट्रिंजेण्ट बनाने के लिए सरकार संशोधन विधेयक 71 से ही पेश कर रही है और हम 72 के शेष में आकर बैठ गए हैं परन्तु वह विधेयक आजतक नहीं आ सका। साथ ही साथ वेलफेयर सेस को एन्हान्स करने के लिए जो बिल सरकार पेश करने वाली थी वह भी आजतक पेश नहीं हो सका है। इसी प्रकार से इंडास्ट्रियल रिनेशन्स बिल को भी लाना है। लेकिन जो बिल सामने आ गया है उसको सरकार बहुत जल्दबाजी में पास करा लेना चाहती है और जो बिल नहीं आये हैं वह आते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह आश्वासन कि हम संशोधन करके उसकी भूलों को, इसकी त्रुटियों की सुधार लेंगे, यह बात कुछ जंचती नहीं है। 6 लाख 38 हजार कुल खदान के मजदूर हैं। इसमें 3 लाख 96 हजार कोयला खदान में हैं। आयरन और जिसके लिए अलग से वेलफेयर सेस है उसमें 52 हजार लोग हैं। माइका माइन्स में 14 हजार लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी अलग वेलफेयर फंड है। और यह जो अभी लाइम स्टोन और डोलोमाइट माइन्स के लिए विधेयक पेश हैं इसमें 58 हजार मजदूर काम करते हैं, 53 हजार और 5 हजार। इस तरह से यह चौथा विधेयक होने जा रहा है और इस चौथे वेलफेयर बिल के पास होने के बाद भी एक लाख 18 हजार माईनर्स और रह जायेंगे जिनके लिए इस प्रकार के किसी वेलफेयर फंड का प्राविजन नहीं किया गया है। सरकार को एक काम्प्रिहेंसिव लाना चाहिए था जैसा कि नेशनल कमिशन आफ लेबर ने रिक्मेन्ड किया है। इस तरह का एक काम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन कम से कम सभी माइनर्स के लिए सरकार को लाना चाहिए था जिससे कि सारे के सारे 6 लाख 38 हजार मजदूर उसमें कवर हो जाते। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि लाइम स्टोन और डोलोमाइट माइन्स के लिए यह जो विधेयक पास करने जा रही है इसके बाद बाकी बचे हुए मेंगनीज और दूसरी खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए कब तक वेलफेयर फंड कायम किया जा रहा है ?

यद्यपि सरकार ने इसमें सेस एक रुपया प्रति टन के हिसाब से रखा है और सरकार का हिसाब बतलाता है कि चार करोड़ टन लाइम स्टोन और डोलोमाइट प्रति वर्ष पैदा होता है परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों फीगर्स में या तो 58 हजार की फीगर गलत है या फिर चार करोड़ की फीगर गलत है क्योंकि 58 हजार लोग चार करोड़ टन साल में पैदा नहीं कर सकेंगे। इस तरह से इन दोनों में से एक फीगर गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि मजदूरों की संख्या जो 58 हजार है वह सही है और चार करोड़ टन प्रोडक्शन की फीगर गलत है। सरकार ने दिखाने के लिए तो एक रुपये का सेस रखा है लेकिन नीयत बीस पैसे ही रखने की है जैसा कि कंसल्टेटिव कमेटी में हमको जवाब मिला। बीस पैसे का सेस रख कर इतनी जो स्टैंडर्ड माइन्स हैं उनके वेलफेयर की व्यवस्था सरकार कर सकेगी या नहीं और वह कब तक शुरू होगा यह पता नहीं चलता है क्योंकि बीस पैसे की दर से बरसों लग जायेंगे सारे वेलफेयर सेस को कलेक्ट करते करते और जो स्कीम हैं जैसे अभी आयरन ओर के लिए है वह भी अभी फुल्ली एन्फोर्स्ड नहीं है। और वह उसके वेलफेअर का काम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो यह 20 पैसे रखने की नियत है, यद्यपि कानून में 1 रुपया तक का प्राविजन रक्खा गया है, यह सही नजर नहीं आती इस वेलफेअर सेस का जो सरकारी कलेक्टिंग एजेंट होगा वह कम्पनी का मालिक होगा या माइन ओनर होगा। जहां पर माइन

ओनर फक्ट्री ओनर भी होगा, सीमेंट फैक्ट्री ओनर होगा, आयरन ऐंड स्टील फैक्ट्री ओनर होगा और अकुपायर के रूप में होगा। वही वसूल करेगा। लेकिन जैसे प्राविडेंट फंड का मामला हर वक्त सरकार के सामने आता है, सदन के सामने उपस्थित होता है। मालिक लोग उन पैसों को वसूल करेंगे जो कंज्यूमर पे करेंगे लेकिन उस के बाद भी वह पैसा वेलफेअर के लिए नहीं मिल सकेगा। सरकार ने प्राविजन रक्खा है कि अगर वह वसूल कर के नहीं देंगे तो वह उन पर पेनेल्टी करेंगे और जितनी रकम बकाया होगी उतने तक पैनेल्टी हो सकेगी, या फिर उन को 12 परसेंट सूद देना होगा। अगर इतने कम दर पर माइन के मालिकों को सरकारी पैसा सूद पर मिल जाये तो वह इसका स्वागत करेंगे और सरकार इस पैसे को कभी वसूल नहीं कर सकेगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। सदन में कोरम नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung. Now there is quorum. He may continue.

श्री राम निवास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि इस बिल में कुछ इस तरह की कमियां हैं जिन को इस स्टेज पर हटाना सम्भव नहीं है। सरकार कहती है कि बाद में संशोधन ला कर के वह उन को हटा लेगी। मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन करना इतना आसान नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में आप का ध्यान आकर्षित करता हूं कि विधेयक के पेज नं० 2 पर यह लिखा हुआ है :

"not being a place occupied by any residential building".

यह वेलफेयर जरूर होगा, लेकिन वह वर्कर जो रेजिडेंशल एरिया में काम करता होगा, जो [एलेक्ट्रिफिकेशन का काम करता होगा, जो वाटर सप्लायर का काम करता होगा, जो ड्रेन का काम करता होगा, कंस्ट्रक्शन का काम करता होगा या वाचमैन का काम करता होगा, वह वेलफेअर का हकदार नहीं होगा। कानून में इस तरह का प्रावधान है। और माइन ओनर नहीं दे सकेंगे तो अकुपायर से वसूल करेंगे, लेकिन वह अकुपायर सीमेंट, आयरन और स्टील कम्पनी का मालिक होना चाहिए। अगर वह सीमेंट, आयरन और स्टील कम्पनी का मालिक न हो कर किसी और कारखाने का मालिक होगा जैसे शूगर के कारखाने का, ग्लास के कारखाने का, पेपर, फर्टिलाइजर या केमिकल के कारखाने का, तो उस से वसूल नहीं करेंगे। डोलोमाइट के अलावा अगर वह किसी रिफ्रैक्ट्री या ग्लास का कारखाना लगायेगा तो उस से वसूल करने की पावर आपने नहीं ली है। फिर भी आप देखेंगे कि इस में जनता के हित में होगा कि उन के वेलफेयर के काम में पैसा लगे और मालिकों को सेस के रिफंड के रूप में पैसा दिया जाये।

मेरे अनुभव यह बतलाते हैं कि कोल इंडस्ट्री में पहले वेलफेअर के रूप में मकान बनते थे। झरिया कोल माइनर्स सेटलमेन्ट ऐक्ट के मुताबिक माइन्स बोर्ड आफ हेल्थ उन को मजबूर करता था कि वह लोगों को मकान बना कर दें, उन को पीने का पानी दें, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करें. वह सारी जिम्मेदारी कोल-माइन्स वेलफेअर आर्गनाइजेशन ने ले ली। उसके कारण यह हुआ कि मालिकों ने सारे काम को करना बन्द कर दिया। सरकार ने स्कीम निकाली कि हम 25 परसेंट सब्सिडी देंगे। 25 परसेंट सब्सिडी देने से काम फिर चलने लगा। लेकिन आज 100 परसेंट सब्सिडी देने पर भी उनके पास 7 करोड़ रुपये हाउसिंग फंड के पड़े हुए

[श्री राम नारायण शर्मा]

हैं मगर कोल माइनर्स को आज भी मकानात नहीं मिल सके हैं। ड्रिंकिंग वाटर की जो कठिनाई थी वह भी है। वे लोग अपने सारे हास्पिटल्स बन्द कर रहे हैं। जो दूसरे हास्पिटल्स चलते हैं वह उन्हीं के सेस के भरोसे चलते हैं जो यह रिफंड करते हैं। आज वहां पर यह स्थिति है कि 50 पैसे सेस हैं तब भी काम ठीक से नहीं चलता। रोज उस को बढ़ाने की बात आती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 20 पैसा सेस लगा कर आप इन माइनर्स के वेलफेयर का काम कैसे कर सकेंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उस की इस सम्बन्ध में क्या नीति है और वह कैसे इन स्कीमों को लागू करने जा रही है।

इसी तरह से यह प्रावधान रखा गया है कि ऐप्रूव्ड स्कीम्स पर वह जो खर्च करेंगे उस खर्च की रकम वह रिफंड में लेंगे और उतनी रकम देंगे जितना उन का कंट्रिब्युशन होगा। उससे अधिक नहीं। इस तरह के हाफ-हार्टेड और हैफेजर्ड मैनर में बिल ला कर और जल्दी से जल्दी उस को पास करा कर लाइमस्टोन और डोलोमाइट माइन्स के मजदूरों का भला कैसे हो सकेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन चूंकि यह उन लोगों का भला करने वाला बिल है, मजदूरों का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस का विरोध भी नहीं कर सकता लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन कमियों को हटा के लिए दो चार दिन का समय देकने पास कराये।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : जो बिल सरकार लाई है, हालांकि यह एक अच्छा कदम है लेकिन बहुत ढीला ढाला कदम है। सरकार की तरफ से इसको मजदूरों के कल्याण के लिए लाया गया है। बेशक यह ढीलाढाला कदम है फिर भी मैं, इस कदम का स्वागत करता हूं। अनुभव बताता है जितनी भी इनकी वैलफयर आर्गनाइजेशन है, चाहे कोलमाइंज वैलफेयर आर्गनाइजेशन हो या माइका माइंज वैलफयर आर्गनाइजेशन हो या आइरन ओर और मैंगनिज माइंज की वैलफेयर आर्गनाइजेशन हों सभी की हालत बहुत नाजुक है और सभी ढीले तरीके के काम कर रही है और जो सुविधायें इन आर्गेनाइजेंशनज़ को मजदूरों को देनी हैं वे ये दे नहीं पाती हैं और जो भी वैलफयर की स्कीमज़ हैं इनके हाथ में, उनको ये अच्छी तरह से नहीं चल रही हैं। उसका सब से बड़ा कारण यही है कि उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं है। कोयले का उत्पादन स्तर मिलियन टन या कभी कभी उससे ज्यादा साल में होता है और आठ आना प्रति टन सैस लेने के बाद भी जब उसका खर्चा नहीं चल पाता है तो बीस पैसे से ये कौन सा वैलफेयर करने वाले हैं यह समझ में नहीं आता है। यह चीज लाइमस्टोन और डोलोमाइट की खानों में काम करने वाले मजदूरों को भी समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि शीघ्र साठे जो आपने एक रुपया रखा है उसको आप लेना शुरु कर दें तो कुछ काम की बात बन सकती है। नहीं तो वैसे ही होगा जिस तरह से आज धनबाद के अस्पतालों में हो रहा है। वहां प्लास्टर आफ पैरिस तक नहीं मिलता है। रिजनल अस्पताल में कोई सलफा मैडिसन नहीं मिलती है। मजदूरों को पट्टी बंधवानी होती है तो उसके लिए पेशेंट्स को सामान बाजार से खरीद कर लाना पड़ता है और तब कहीं व पट्टी बंधवा सकते हैं। इस तरह की हालत रहेगी तो कैसे काम चल सकता है। जब आप आठ आना ले कर मजदूरों का कुछ वैलफेयर नहीं कर सकते हैं तो बीस पैसा ले कर वैलफेयर होगा वह बहुत ही सस्ता और निकम्मा वैलफेयर होगा इस में कोई शक वाली बात नहीं है।

हाल ही में हम एक कमेटी के साथ कुछ आयरन ओर माइंज को देखने के लिये गए थे देश के कुछ हिस्सों में भाग्यवश हमारे श्रम

मंत्री भी वहां मौजूद थे। उनकी वैलफेयर स्कीम्ज का क्या हश्न है इसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मकान बनवा दिये गये हैं लेकिन उन मकानों में रहने वाला कोई नहीं है। ऐसी जगहों में ये मकान बनाए गए हैं जहां मकानों की सख्त जरूरत है, मजदूर चिल्ला रहे हैं कि उनके मकान मिलें, व झोंपड़ियों में रहते हैं लेकिन फिर भी इनके बने हुए मकानों में कोई रहने वाला नहीं है। कितनी नाजुक स्थिति है, सहज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन मकानों में इन्होंने पानी नहीं दिया है, बिजली की व्यवस्था नहीं की है, चारों ओर जंगल और झाड़ लगा हुआ है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वैलफेयर के नाम पर मकान बनाए गए हैं लेकिन वहां कोई वैलफेयर नाम की वस्तु नहीं है। केवल मकानों का ढांचा खड़ा है। यह जो वैस्टेज आफ पब्लिक मनी होता है इससे तो अच्छा है कि इस तरह के वैलफेयर को बन्द कर दिया जाए।

जब भी कोई काम की बात होती है तो इस आड़ में कि पैसा नहीं है, उस बात को नहीं किया जाता है या उसको रोक दिया जाता है। एक अच्छा विचार सामने आया था। नैशनल लेबर कमिशन ने कहा था कि सभी खदान मजदूरों के लिये एक कल्याण सम्बन्धी योजना बनाई जाए और सब को मिला जुला कर एक अच्छी स्कीम चालू की जाए ताकि मजदूरों का कल्याण हो। लेकिन आज क्या होता है। चारों तरफ स्कीमें जो हैं इनको अलग अलग लोग चला रहे हैं। एक आदमी पर कोई काम चलाने के लिए एक एरिया में और हर तरह की मांइज में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अलग अलग माइंज के लिये अलग अलग अफसर इनको रखने पड़ेंगे। इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है वह बढ़ेगी। उसकी जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं है। सारा जो पैसा है वह एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में ही खर्च हो जाता और वैलफेयर का काम कुछ नहीं हो पाता मेरा सुझाव है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक कम्प्रिहैंसिव स्कीम वैलफेयर की पूरे माइन मजदूरों के लिए, खदान मजदूरों के लिये आप लाएं। मैं इस बिल का विरोध नहीं करता हूं। इसको आप अभी पास करा लें। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप उस स्कीम को लाएं यह मेरा सुझाव है।

दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं। पंद्रह बरस से कोलमाइंज वैलफेयर आर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी कमेटी ने जिस में इनकी मिनिस्ट्री के ज्वायंट सैक्रटरी के रैंक का आदमी चेयरमैन रहता है, यूनेनीमसली रिकोमेंड किय है और उस रिकोमेंडेशन पर इस अफसर के हस्ताक्षर भी हैं कि जब तक सैस की राशि को बढ़ा कर एक रुपया नहीं किया जाएगा तब तक कोई काम चलाने वाला नहीं है। सब काम सत्यानाश हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसे यह होता है कि वहां तो ज्वायंट सेक्रेटरी हस्ताक्षर करके आते हैं कि इसको बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाना चाहिये लेकिन यहां से जिटली लिखते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिये। इस तरह का जो धंधा चलता है यह बन्द होना चाहिये। अगर सरकार चाहती है कि मजदूरों का कुछ कल्याण हो तो जाहिर है कि उसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी होगी जो यह कहते हैं कि आज अगर हम चार आना सैस बढ़ा देंगे तो पूरे देश की इकोनोमी तबाह हो जाएगी। कोकिंग कोल के दाम जब तीन रुपया बढ़ सकते हैं और कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं है, कोई उसके बारे में पूछने वाला नहीं है, कोई चिल्लाता नहीं है कि इकोनोमी धरातल पर चली गई है या बैठ गई है, कोई अप्रसन्न नहीं है तो मजदूरों के कल्याण के लिए अगर चार आना पर टन या आठ आना पर टन सैस बढ़ा दिया जाएगा तो कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है जिससे रेलों का चलना बन्द हो जाए या सिमेंट फैक्ट्रियां बन्द हो जाएं या थर्मल प्लांट बन्द हो जाएं। अगर

[श्री दानोदर पाण्डे]

ऐसा होना होता तो जब तीन रुपया फी टन कोकिंग कोल के दाम बढ़ाए गए तो क्यों नहीं वे बन्द हुए। अगर हमारी इकोनोमी तीन रुपया बरदाश्त कर सकती है। इसलिये कि वह पैसा मालिकों की जेब में जाता है तो आठ आना जो मजदूरों के कल्याण के लिए हम लेना चाहते हैं तो हमारी इकोनोमी इतनी कमजोर नहीं है कि वह उसको बरदाश्त न कर सके कोयले के दामों पर या दूसरी खदानों द्वारा निकाले गए माल पर। जो ऐसी दलील देते हैं वे बडी अजीब दलील देते हैं और यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय गम्भीरता से इस पर विचार करें कि इस में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। साथ ही पैसे की कमी की वजह से बहुत सी वैलफेयर स्कीम्ज दम तोड़ रही हैं। उनको जिन्दा रखने के लिए कम से कम आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो चालू स्कीम्ज हैं, अस्पताल हैं या और भी दूसरे भी इस तरह के जो बहुत आवश्यक अंग हैं वैलफेयर के उन में खर्चे में किसी तरह की कोई कमी न आने पाए और उन स्कीमों को पूरा करने के लिये अगर थोडा पैसे को बढ़ाना पड़े तो आप हिम्मत के साथ सदन के सामने आएं और मेरा खयाल है कि आपको यहां पूरा पूरा समर्थन मिलेगा।

मैंने दो सुझाव दिए हैं। एक तो यह है कि बीस पैसा न रख कर आपने जो एक रुपये का प्रावधान किया है, वही वसूल किया जाए और इसको अभी आप पास कर दें ताकि मजदूरों का कुछ कल्याण हो सके। साथ ही पैसा वसूल करने की पद्धति जो लचकदार है इस पद्धति से सारा पैसा वसूल नहीं हो पाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि कल्याण की दिशा में जो काम आप करना चाहते हैं वह काम नहीं हो पाएगा और आपकी और भी बदनामी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस में भी कुछ सुधार आप कर दें ताकि यह पैसा ठीक से वसूल हो सके।

श्री राम सिंह भाई वर्मा (इंदौर): जो बिल सदन में लाया गया है, उस के लिए मैं श्रम मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देना चाहता हूं, दरसल यह बिल निहायत जरूरी था। इस बिल की त्रुटियां देखने के बाजाय जो इसमें अच्छाइयां हैं उनकी मैं तारीफ किये बिना नहीं रहूंगा। इस में कोई शक नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने श्रमिकों के ऊपर जो ध्यान दिया है और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है। उसकी वजह से हम ट्रेड यूनियन चलाने वालों को बुद्धिजीवियों की आलोचना सुननी पड़ी है। वे कहते हैं कि ट्रेड यूनियन एवं गवर्नमेंट के सामने केवल मजदूर ही हैं क्या सारे केवल सरकारी कर्मचारी ही हैं, हम नहीं हैं? क्या कारण है कि सरकार श्रमिकों एवं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही काफी ध्यान दे रही है। मैं समझता हूं कि जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ होनी ही चाहिये। मेरे प्रदेश में इन खदान उद्योग काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस प्रकार सिमेंट उद्योग बढ़ रहा है, स्टील उद्योग बढ़ रहा है उसी प्रकार से उस में चूने पत्थर की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है और यह उद्योग भी उस अनुपात में बढ़ रहा है। लेकिन इस उद्योग के खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की कितनी दुर्दशा है इसका अनुमान बहुत कम लोगों को है और अभी तक उसको सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं। अब जो प्रयत्न इस बिल द्वारा करने का प्रस्ताव है, उसकी मैं आलोचना करूं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। कितनी धनराशि एकत्र होगी, किस प्रकार से होगी

इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है । वसूल करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, यह भी सरकार के देखने की चीज है । हमें तो जो कराना है उसके लिए श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करना है । आपने इसके अन्दर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर समितियां बनाने का प्रावधान जो किया है वह बहुत अच्छा है इसका कारण यह है कि राज्य स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी होती है उनको केन्द्रीय कमेटी देख सकती है और राज्य स्तर की कमेटियों को यह भी ख्याल रहेगा कि उसके ऊपर भी कोई देखने वाला है । जो उनको ठीक कर सकता है । यह तो कोई बुरी व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को वैलफ़ेयर एक्टिविटीज की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना चाहिए । कितनी धन राशि इकट्ठी होती है, कितनी नहीं, यह सरकार को देखना है । लेकिन आज इन खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की कितनी दुर्दशा है । मैं यह नहीं कहता कि सरकार उनका वेतन बहुत बढ़ा दे, उन के लिए पक्के मकान बना दे या उन को बंगलों में रखे । भले ही खदानों में काम करने वाले फिलहाल झोंपड़ों में रहें । मुझे वे झोंपड़े पसन्द हैं । लेकिन वहां गन्दगी न हो । यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि झोंपड़ों के आस-पास गन्दा पानी जमा न हो ।

इसके अलावा वहां पर पीने के पानी और नहाने-धोने की सुविधा होनी चाहिए । जब हम उन लोगों को खदानों में काम कर के लौटते वक्त देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये इन्सान हैं या जंगल से निकल कर आये हुए जानवर हैं । उनकी शक्ल पहचानना मुश्किल होता है । हम यहां बैठे हुए लोग इस बात का अन्दाज भी नहीं लगा सकते कि पीने के पानी और नहाने-धोने की सुविधा न होने के कारण उन लोगों को किस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं । जब चूना या चूने का पानी मनुष्य के शरीर में जायेगा, तो उस पर क्या असर होगा ? इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धन राशि से सरकार जो भी वेलफ़ेयर एक्टिविटीज चलाये, लेकिन उन में पीने के पानी और नहाने-धोने का इन्तजाम सब से पहले होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि एक निश्चित टाइम के बाद खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की परीक्षा होनी चाहिए । वे जिन रोगों का शिकार होते हैं, उनका उपचार होना चाहिए । उन लोगों की हैल्थ जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा वे काम कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे ।

झोंपड़ों के आस-पास से गन्दे पानी के निकलने का इन्तज़ाम करने के साथ साथ वहां रोशनी का इन्तजाम भी होना चाहिए । हम देखते हैं कि जहां झोंपड़े होते हैं, वहां तो बिलकुल अन्धकार रहता है, जब कि उन के पास ही बंगलों में बिजली और टयूबलाइट आदि की पूरी व्यवस्था होती है । मैं यह नहीं कहता कि उन झोंपड़ों के अन्दर बत्ती लगाई जाये, लेकिन कम से कम रोड पर, आम रास्ते पर, तो बत्ती लगाई जानी चाहिए ।

जब खदानों में काम करने वाले अपने झोंपड़ों से निकल कर काम पर जाते हैं, तो बरसात में कीचड़ से रास्ते में उनकी बुरी हालत होती है । उन के झोंपड़ों से खदानों तक का रास्ता कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वे सुविधा से आ जा सकें ।

खदानों में एक बड़ी भारी तकलीफ यह है कि वहां सरकार छोटे-छोटे स्कूल खोलती है ज्यादा से ज्यादा वहां हायर सैकंडरी स्कूल खुल जाते हैं लेकिन टैक्निकल तालीम या डिग्री लेने

[श्री राम सिंह भाई वर्मा]

के लिए वहां कोई कालेज नहीं होते हैं । इस लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि योग्य बच्चे टेकनिकल तालीम हासिल कर सकें या डिग्री प्राप्त कर सकें ।

मैं श्रम मंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जहां कुछ नहीं था, वहां उन्होंने शुरुआत की है । इस के लिए हमारा जितना भी योगदान चाहिए, वह हम देने के लिए तैयार हैं । मुझे आशा है कि वह इस योजना को जैसा मैंने निवेदन किया है कि आगे बढ़ावगे ।

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members of the House who have taken lively interest in this Debate. Sir, some of the Members like Mr. R. N. Sharma and Mr. Pandey are very close to the mining areas and they know the problems intimately. But I would like to make one think clear.

One question was raised why there are so many Funds. They asked why there should be so many separate Welfare Funds for Iron ore, for mica, for coal and now for limestone and dolomite. I would like to point out that the Committee headed by Mr. Malaviya a tripartite committee, went into the various aspects of the welfare activities in the mining area and on the basis of that report, the National Commission on Labour has made certain recommendations which we have kept in view. That is the position. We do realise that if we have a consolidation of all the Funds, in the final analysis it would lessen the administrative cost and that is our objective as recommended by the National Commission on Labour.

But, I would like to point out that still there are some areas to be covered. For instance manganese mines is one such area. We are proposing to have a Welfare Fund there also. After we have covered almost all the field, with our experience, we shall be in a better position to have a consolidated Welfare Fund and all our activities can be directed from one centre.

Then a question was raised about the power to levy one rupee per tonne for welfare as the welfare cess, and why we must have just twenty paise. I would like to point out that whenever any measure of this kind is brought forward we have got to bear in mind its impact on the consumer cost. Our experience is this. Even a small measure of welfare activity and a little cess gives a handle to the manufacturers of the final products to raise the price. So, keeping in view this aspect we have made a small beginning. And, we have also assessed the immediate requirements. There are 58,000 workers. We expect to collect Rs. 44 lakhs. If we initiate some welfare measures like dispensaries, maternity hospitals, drinking water facilities, housing, etc. I think, with this small beginning, we will be able to do much better.

Another point was made why certain consumers were left out. I would like to point out that all the bulk consumers are covered. I do not think it would be possible to cover the consumers, as my friend Mr. Sharma pointed out, whose consumption is very low. Therefore, it is not a question of excluding some people. From the point of view of realisation and collection we have selected the major and bulk consumers of these products of limestone and dolomite.

Another question was asked as to why there are these deficiencies, why cannot this be referred to a Select Committee etc. They asked why anybody should rush through this measure. Now, I would like to point out that we know and we are conscious that we know and we are conscious No legislation can claim to be perfect. There are bound to be some deficiencies. As we administer the Act and we find that there are certain things where we must come forward with some amendments, we shall certainly come forward with such amendments. But if we do not now get support from all sections of the House for

this measure, it would be difficult for us later on. I am not disclosing a secret when I say this, because the Minister of Parliamentary Affairs is here and he will confirm it, namely that for my measure I have to stand in the queue. He has given a priority to this now at our request....

SHRI R. N. SHARMA: But labour is last in the queue.

SHRI R. K. KHADILKAR: I would not say that. He is very considerate, I must say that.

With all this, I do realise that there are some deficiencies, and we may come forward at the appropriate time; perhaps, when we consolidate the welfare activity and establish a common welfare fund, that would be the proper time.

Shri Bhogendra Jha has asked why some fund money is given to the employer to provide welfare activities. No doubt, it is expected of an enlightened employer that he should look after his employees well. But as hon. Members know, all employers, particularly, those who are in the mining industry are not so well enlightened to discharge this obligation. But when we make some advance, they are expected to submit a scheme, and according to specifications, certain workers are carried out on the site; it perhaps saves a little time and money also. So, from that angle, under strict supervision, some funds are made available to the employers in these quarries. I hope that this would not be abused initially, and our experience is that it has worked well.

I do admit that the welfare activities required in mining industry in general need much to be desired, and our effort is to see that at least the minimum facilities for decent living are provided, such as housing, drinking water, sanitation arrangements, some maternity benefits and other medical benefits. I do not claim that everything is well, but I must say that the welfare activity initiated by this House and by my Ministry is making progress and in some respects noticeable progress. I must point this out to the House.

Some other points were made, but I need not reply to them in detail. For instance, the question of penalty was raised. I am also conscious from my experience that in welfare legislation or in fact a legislation of a social nature, unless some provision is made for a deterrent penalty, it is not implemented properly. We are not being helped by the Judiciary; I do not want to blame them, but the approach is such; in due course, I have it in my mind that we shall also have to consider what should be done if we fail to get proper response from the other side. Let us hope that the collection will be honestly made and with this collection, we shall be able to initiate in this region some welfare activity immediately. With this objective in view, we have brought forward this measure, and since all sections have welcomed it, I expect the entire House to support it.

SHRI BHOGENDRA JHA: What is the necessity of including the mine-owners' representatives on the advisory committees?

SHRI R. K. KHADILKAR: As the hon. Member is aware, all labour activities are generally based on decisions after tripartite consultation. Though we are not saying that the employers representatives who are present there will be always helpful, at the same time, hon. Members should remember that when Government and labour representatives are there, if the labour is united, their united voice will prevail and they can point out to the employers' representative on their very face, 'Look here, you are not playing the game.

So for the time being that position will be there.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampor): But the Government re-

tatives will side with the employers and the labour will be in a minority.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order.

The question is:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on limestone and dolomite for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no amendment whatever to the Bill. I will put all the clauses and the rest of the Bill together.

The question is:

"That Clauses 2 to 16, Clause 1, the Enacting Formula and the Title Stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2to 16, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. K. KHADILKAR: I move:

"That the Bill be passed.".

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed".

श्री बृकम चन्द कछवाय (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह 44 लाख रुपये का प्राविजन रखा है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि 55 हजार व्यक्तियों के लिए यह कसे पूरा होगा। मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति 6–7 रुपये महीना खर्चा आता है तो 55 हजार व्यक्तियों के ऊपर मेरी समझ में नहीं आया कि यह जो लेवी लेंगे उससे जो रुपया इकट्ठा होगा वह कैसे खर्च के लिए पूरा पड़ेगा ? क्योंकि इसमें कहा है कि चिकित्सा, शिक्षा, आवास, सांस्कृतिक कार्य, तथा उन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अन्य काय इससे किए जायगे। तो इन सब बातों का प्रबन्ध इतने रुपयों से होने वाला नहीं है। क्या दवाओं को दूर से दिखा कर गुजारा करने वाले हैं ? क्या मकान बना कर केवल रखेंगे, उस में व रहेंगे नहीं ? इस से तो गुजारा होगा नहीं ? तो साफ बताइए कि घटेगा तो केन्द्र भी उस में कुछ सहायता करेगा। इस का भी इस में उल्लेख किजिए।

दूसरी बात–ऐसी बहुत सी खानें हैं जिन को आज तक सरकार ने छुआ नहीं है जैसे स्लेट और पेंसिल जो बनती ह उस की खाने हैं, सफेद पत्थर, मार्वल पत्थर इन की खानें हैं, फर्शी जो बनती है जो मकान के नीचे लगाते हैं या छतों पर लगाते हैं, सड़कों पर जो गिटटी पड़ती है उस का पत्थर होता है, मकान बनाने का पत्थर होता है, उस की खानें होती हैं, इन तमाम खानों को आपने छुआ नहीं है। तो इन सब पर भी यह लागू किया जाए यह मेरी आप से प्रार्थना है।

आप कानून तो बनाते हैं परन्तु कानन असल में अमल में नहीं आता है यह बहुत बड़ी कमी है आप ने कानून बनाया कोयला खानों के लिए। आप को याद है चिरमिरी मध्य प्रदेश के मजदूर खुद आप से मिले थे। मालिक और मजदूर दोनों आप से मिले, दोनों के सामने फैसला हुआ और उस फैसले को भी मालिकों ने नहीं माना। पुलिस को ले कर मजदूरों पर गोलियां चलाई। तीन बार गोली चली है और आज तक जांच नहीं हुई है। पिछली बार जांच कराई वह खाई में पड़ी हुई है। उस की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। इसलिए मेरा कहना है कि जो कानून बने उसको ठीक से अमल में लाया जाए।

दूसरी बात—आप बीस-बीस साल तक रायल्टी देते हैं । उस को कम करना चाहिए । उस में मजदूर का का कितना फायदा हो सकता है ? आप ने और कोयला खानों के लिए कानून बहुत अच्छे बनाये हैं । लेकिन इस में बोनस वगरा के बारे में उल्लेख नहीं किया । आप ने एक बात और कही है । आप ने अधिकार दिया है कि समिति का अध्यक्ष केन्द्र तय करेगा । मेरा उससे विरोध है । आप सलाह दे सकते हैं । परन्तु आप तय करेंगे मैं इस को स्वीकार नहीं करता, मेरा दल भी स्वीकार नहीं करता । आप सलाह दीजिए । लेकिन राज्य सरकार को अधिकार दीजिए कि वह अध्यक्ष चुने और अन्यथा बनाये । आप की सलाह पर्याप्त है । इसके अलावा जहां तक बाकी खानों की बात है आप ने जो आंकड़े लगाए हैं 55 हजार के उस से आगे मेरा कहना है कि बाकी जो खानें मैंने बताई हैं उन में डेढ़ लाख मजदूर सारे देश में काम करते हैं । आप 55 हजार आदमियों पर लागू करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि डेढ़ लाख लोगों को मत छोड़िये, उन को भी इस में शामिल कीजिए, इससे उनको काफी लाभ होगा ।

15.03 hrs.

आपने इस में कहा है कि हम बहुत जल्दी एक शक्तिशाली कानून बनायेंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि आप कब बनाने जा रहे हैं । जब भी आप विशेष कानून बनायें, कम से कम सदन के सदस्यों को विश्वास में लेकर कानून बनायें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri-kishan Modi—absent. The Minister.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member has made two points. But I have already conceded that manganese remains to be covered. He has made another suggestion that stone quarries and others should be covered. We will consider it. I would like to take up this matter when the Mines Bill which is now before the Joint Committee comes before the House. It is a very comprehensive legislation.

Then the other point he mentioned was that so many workers are not yet covered. I am conscious of it. Mr. Sharma referred to certain figures. I gave some figures. They are approximately correct. A number of workers still remain to be covered, but there also, we are taking steps to see that the workers are protected against malpractices, exploitation, etc. On certain other measures like contract regulations and others, I do not wish to say anything now. (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: That question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.03 hrs.

MOTION *RE.* NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

"That this House do consider the Nineteenth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1969-70, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1971."

At the outset, I would like to express my regret to the House at the delay in the submission of the report. This report was received by the Ministry on the 1st July, 1970, but as a result of delays in the printing of the Hindi translation of the report, particularly because of the emergency with which the country was faced last